मूल हिंदी में

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 516

06.02.2023 को उत्तर के लिए

प्रदूषण नियंत्रण अनुसंधान संस्थान

516. श्री अरुण कुमार सागर:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या प्रदूषण नियंत्रण अनुसंधान संस्थान ने यमुना, गंगा सरस्वती और अन्य नदियों में बढ़ते प्रदूषण के संबंध में गहन अध्ययन किया है/करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे हैं और उक्त अध्ययन में क्या सिफारिशें की गई हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा इन पवित्र नदियों में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं ?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) से (घ) हरिद्वार (उत्तराखंड) स्थित प्रदूषण नियंत्रण अनुसंधान संस्थान ने सूचित किया है कि उन्होंने देश की प्रमुख नदियों में बढ़ते प्रदूषण के संबंध में कोई व्यापक अध्ययन नहीं किया है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/समितियों के सहयोग से राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (एनएक्यूएमपी) के अंतर्गत निगरानी केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से देशभर में नदियों और अन्य जलाशयों की जल गुणवत्ता की निगरानी कर रहा है। वर्तमान में, इस नेटवर्क में 719 नदियों के संबंध में 2108 स्थानों सहित 28 राज्यों और 7 संघ राज्य क्षेत्रों में फैले 4484 स्थान शामिल हैं। जल गुणवत्ता निगरानी परिणामों के आधार पर, सीपीसीबी द्वारा समय-समय पर नदियों के प्रदूषण का आकलन किया जाता है।

नदियों की सफाई/संरक्षण करना एक सतत गतिविधि है। यह राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी है कि वे नदियों और अन्य जलाशयों, तटीय जल या भूमि में छोड़ने से पहले उनमें प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुसार सीवेज और औद्योगिक बहि:स्राव का आवश्यक प्रशोधन सुनिश्चित करें। नदियों के संरक्षण के लिए, जलशक्ति मंत्रालय, गंगा बेसिन में नदियों के लिए 'नमामि गंगे' की केंद्रीय क्षेत्र स्कीम और अन्य नदियों के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) की केंद्रीय प्रायोजित योजना के माध्यम से देश में नदियों के अभिज्ञात खंडों में प्रदूषण उपशमन के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करता है।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के उपबंधों के अनुसार, औद्योगिक इकाइयों को निर्धारित पर्यावरणीय मानकों का अनुपालन करने के लिए बहि:स्राव उपचार संयंत्र (ईटीपी) स्थापित करना और अपने बहि:स्रावों को नदियों और जलाशयों में छोड़ने से पहले उसका प्रशोधन करना अपेक्षित है। तद्नुसार, सीपीसीबी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) और प्रदूषण नियंत्रण समितियां (पीसीसी) बहि:स्राव मानकों के संबंध में उद्योगों की निगरानी करती हैं और इन अधिनियमों के प्रावधानों के तहत गैर-अनुपालन के संबंध में कार्रवाई करती हैं।

*****